न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—507/2015/225 (2015/00190)

1. ईश्वर पुत्र हरिनारायण, जाति जाट, निवासी ढाणी बम्बोरियान, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. रामलाल पुत्र रामकरण (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— शिवकरण पुत्र रामलाल,
   1/2— किशनलाल पुत्र रामलाल,
   1/3— प्रेमदेवी पुत्री रामलाल,
   1/4— दाखा देवी पत्नि रामलाल,
   1/5— बिरदी देवी पत्नि रामकुंवार (रामकुंवार पुत्र रामलाल)
   1/6— जितेन्द्रसिंह पुत्र रामकुंवार,
   1/7— सुमित्रा देवी पुत्री रामकुंवार,
   1/8— शांतिदेवी पुत्री रामकुंवार,
   समस्त जाति जाट, निवासी ढाणी बम्बोरियान, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू, जिला जयपुर दिनांक 16.2.2015 अंतर्गत प्रकरण संख्या 123/2014.

उपस्थितः—

1. श्री अजीत सिंह, वकील अपीलांट ।
2. श्री दिलीपसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/8.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्त रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः— 12.03.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 16.2.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1/1 लगायत 1/8 के पिता ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी राज0 सरकार के प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

की आराजी खसरा नंबर 114 रकबा 0.21 है0, खसरा नंबर 112 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम कड़वों का बास, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जिसमसें आने जाने हेतु रास्ता नहीं है । इसलिये अप्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 1519/77 रकबा 0.0499 है0 किस्म गै0मु0 बाडा जो कि अप्रार्थी/राज्य सरकार के नाम है, में से 43 फीट लम्बा पूर्व से पश्चिम व 14 फीट चौड़ा उत्तर से दक्षिण अर्थात् कुल 55 वर्गमीटर रास्ता की आवश्यकता है जो खसरा नंबर 112 के पश्चिम मेड़ से दिया जावे । पूर्व में माननीय न्यायालय ने प्रार्थना पत्र संख्या 9/2014 के आदेश दिनांक 23.7.2014 के अनुसरण में प्रार्थी का खसरा नंबर 77 में से खसरा नंबर 1518/77 का 43 फीट गुणा 16 फीट का रास्ता प्रदान किया गया था । उक्त रास्ता मौके पर पर्याप्त चौड़ा नहीं है । अब प्रार्थी उक्त रास्ते को 30 फीट चौड़ा करवाना चाहता है ताकि प्रार्थी अपनी फसल, कृषि यंत्र आदि को सुगमतापूर्वक ला सके। उक्त भूमि में से रास्ता दिये जाने से प्रार्थी अपनी भूमि पर सार्वजनिक आवागमन करके अपनी भूमि की काश्त कर सकता है एवं कृषि यंत्रों को लाने ले जाने में उसको सुविधा मिल सकती है । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 16.2.2015 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नंबर 1519/77 रकबा 0.0499 है0 किस्म सिवायचक गै0मु0 बाड़ा में से पूर्व से पश्चिम 43 फीट लंबा व उत्तर से दक्षिण 14 फीट चौड़ा अर्थात् 56 वर्गमीटर का रास्ता खातेदार की जोत तक पहुंच हेतु नया मार्ग कायम किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना, पक्षकार बनाये बिना आदेश पारित किया है । खसरा नंबर 78 प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि है जिस पर मौखिक बंटवारा अनुसार हिस्से में आई भूमि पर प्रार्थी का पक्का मकान एवं मकान के दक्षिण दिशा में लगते हुए लंबा बरामदा बना हुआ है । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 को अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 9/2014 निर्णय दिनांक 23.7.2014 द्वारा पूर्व में 16 फीट रास्ता दिया जा चुका है । इसके बावजूद प्रार्थी/रेस्पो0 ने तथ्य छिपाकर अधी0न्याया0 के समक्ष नवीन रास्ते बाबत् प्रार्थना पत्र पेश कर नवीन 14 फीट का रास्ता प्राप्त किया है जिससे प्रार्थी अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय से व्यथित पक्षकार की श्रेणी में आता है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 16.2.2015 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि खसरा नंबर 78 प्रार्थी की सह हिस्सेदारी खातेदारी की भूमि है जिस पर मौखिक बंटवारा अनुसार हिस्से में आई भूमि पर पक्का मकान व मकान के दक्षिण में लगते हुए लंबा बरामदा बना हुआ है । अधी0न्याया0 द्वारा उक्त बरामदे की भूमि पर रास्ता प्रदान कर दिया गया जिस बाबत् अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी लेकिन दिनांक 9.11.2015 को जब अप्रार्थी ने प्रार्थी के मकान के सामने खड़े होकर कहा कि बंटवारे की आज्ञाप्ति की तो तुमने अपील करके स्टे ले लिया लेकिन तुम्हार बरामदे की जगह मैंने रास्ता घोषित करवा लिया है तब प्रार्थी दिनांक 10.11.2015 को दूदू जाकर अधिवक्ता से मिला जिन्होंने उसी दिन जानकारी कर नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 16.11.2015 को नकल प्राप्त हुई । तत्पश्चात् कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

6. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दिनांक 3.3.2014 को त्रुटिपूर्ण तरमीम को आधार बनाते हुए अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 संख्या 9/2014 मात्र राज्य सरकार को अप्रार्थी बनाकर पेश किया जिसमें रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 112 रकबा 0.13 है0 एवं खसरा नंबर 114 रकबा 0.21 है0 के पश्चिम दिशा में लगते हुए खसरा नंबर 77 सिवायचक एवं खसरा नंबर 77 के उत्तर दिशा में लगते हुए खसरा नंबर 78 का वह 1/3 भाग जो अपीलांट के हिस्से की आराजी है, जिस पर अपीलांट का पक्का मकान बना है तथा मकान से लगते हुए दक्षिण दिशा में लम्बा बरामदा बना हुआ है । उक्त बरामदे के समक्ष दक्षिण दिशा में लगती हुई भमि खसरा नंबर 77 की है जो वैसे ही खुली भूमि के रूप में अवस्थित है लेकिन रेस्पो0 संख्या 1 ने गैर कानूनी रूप से 16 फुट चौड़ा रास्ते का आदेश पारित करवा लिया । प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांट को अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है । रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 25.11.2014 को पुनः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 संख्या 123/2014 अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना मात्र राज्य सरकार को अप्रार्थी कायम कर पेश कर कथन किया कि खसरा नंबर 1519/77 (जो खसरा नंबर 77 का भाग है, मे से 76.4 वर्गगज भूमि रास्ते में प्रदान करने के पश्चात् शेष रकबा) रकबा 0.0499 है0 जो सिवायचक भूमि है, में से 43 फुट लंबा पूर्व से पश्चिम व 14 फुट चौड़ा उत्तर से दक्षिण कुल 55 वर्गमीटर रास्ता खसरा नंबर 112 की पश्चिमी मेड़ से ओर दिया जावे । जिस पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 16.2.2015 को आदेश पारित करते हुए पूर्व में प्रदत्त रास्ते के लगते हुए उत्तर दिशा में अवस्थित अपीलांट के पक्के बरामदे की भूमि को रास्ते के रूप में 14 फीट चौड़ा और रास्ता प्रदान कर दिया एवं अपीलांट के पीठ पीछे अपीलांट के पक्के बरामदे को ध्वस्त करने का आदेश पारित कर दिया जो काबिल निरस्तनीय है । यह भी कथन किया कि निर्णय दिनांक 23.7.2014 के तहत प्रदत्त 76.4 वर्गगज रास्ता को नक्शा ट्रेस में 1518/77 अंकित किया जा चुका है एवं शेष भूमि रकबा 0.0499 है0 को खसरा नंबर 1519/77 अंकित किया गया है, में से जरिये प्रार्थना पत्र संख्या 123/2014 पुनः 14 फीट चौड़ा रास्ता जरिये आदेश दिनांक 16.2.2015 को प्रदान किया गया अर्थात् उक्त 14 फीट चौड़ा रास्ता पूर्व में निर्णय दिनांक 23.7.2014 को प्रदत्त 15 फीट चौड़े रास्ते के उत्तर में प्रदान किया गया जिस स्थान पर प्रार्थी के पक्के मकान का पक्का बरामदा बना हुआ है अर्थात् बरामदे की भूमि को उक्त 14 फीट चौड़े रास्ते में प्रदान किया गया है । अधी0न्याया0 ने मौके की स्थिति के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/8 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । खसरा नंबर 1519/77 रकबा 0.0499 है0 भूमि सिवायचक गै0मु0 बाड़ा है जिससे अपीलाट का कोई संबधं सरोकार नहीं है । इसलिये अपीलांट अपीलाधीन आदेश से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार की श्रेणी में नहीं आता है । रेस्पो0 की

खातेदारी आराजी खसरा नंबर 114 रकबा 0.21 है0 एवं खसरा नंबर 112 रकबा 0.13 है0 भूमि है जिसमें आने जाने हेतु रास्ता नहीं होने से अधी0न्याया0 ने रास्ते के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की है जिसमें तहसीलदार ने स्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थी/रेस्पो0 की आराजी खसरा नंबर 112 व 114 में आवागमन का कोई रास्ता नहीं है मात्र सिवायचक खसरा नंबर 1519/77 में से रास्ता दिया जाना संभव है । उक्त रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा निकटतम व समीपस्थ रास्ता होने का भी कथन किया है । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार की उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर खसरा नंबर 1519/77 रकबा 0.0499 है0 में रास्ते के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 एवं धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

9. अपीलांट का कथन है कि अधी0न्याया0 द्वारा खसरा नंबर 77 में से रास्ते के संबंध में आदेश पारित किये गये है जबकि खसरा नंबर 77 के उत्तर दिशा में लगते हुए खसरा नंबर 78 का 1/3 भाग जो अपीलांट के हिस्से की आराजियात है जिस पर अपीलांट का पक्का मकान बना हुआ है तथा मकान से लगते हुए दक्षिण दिशा में लम्बा बरामदा बना हुआ है । उक्त बरामदे के समक्ष दक्षिण दिशा में लगती हुई भूमि ही खसरा नंबर 77 है। प्रार्थी को अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण संख्या 9/2014 में पारित निर्णय दिनांक 23.7.2014 द्वारा खसरा नंबर 77 में से 16 फीट चौड़ा रास्ता पूर्व से ही प्रदान किया जा चुका है । इसके बावजूद प्रार्थी/रेस्पो0 ने तथ्य छिपाकर नवीन प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपीलाधीन 14 फीट चौड़ा रास्ता प्राप्त करने के आदेश पारित किये है । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी अनुसार विवादित भूमि खसरा नंबर 77 सिवायचक किस्म गै0मु0बाड़ा अंकित है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.2.2015 द्वारा खसरा नंबर 1519/77 किस्म सिवायचक गै0मु0बाड़ा रकबा 0.0499 है0 में से पूर्व से पश्चिम 43 फुट लबा व उत्तर से दक्षिण 14 फुट चौड़ा रास्ता कुल 56 वर्गमीटर का रास्ता खातेदार रेस्पो0 संख्या 1 की जोत तक पहुंचने हेतु नया मार्ग कायम किया है । विवादित भूमि खसरा नंबर 1519/77 रकबा 0.0499 है0 सिवायचक भूमि है जिसमें से रास्ता दिये जाने से अपीलांट/प्रार्थी के हक व अधिकार किस प्रकार प्रभावित होते है अपीलांट ने दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं किया है। अपीलांट की खातेदारी आराजी में से अपीलांट को बिना सुने रास्ता दिये जाने की स्थिति में ही अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित एवं व्यथित पक्षकार हो सकता था किन्तु हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी सिवायचक आराजी है जिसमें अपीलांट के कोई व अधिकार निहित नहीं होने से अपीलांट को पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है । अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 निरस्त किया जाता है।

10. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 निरस्त किये जाने कारण अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.2.2015 के विरूद्ध अपील पेश करने का लोकस स्टेण्डाई नहीं होने से प्रार्थना पत्र 5 मियाद अधि0 का कोई औचित्य नहीं रह जाता है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

11. पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट हुए कि प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 रामलाल द्वारा पूर्व में अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि प्रकरण संख्या 9/2014 पेश किया था जिसमें उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा निर्णय दिनांक 23.7.2014 द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी आराजियात खसरा नंबर 112 व 114 में आवागमन हेतु खसरा नबर 77 रकबा 0.08 है0 किस्म सिवायचक गै0मु0बाड़ा की पश्चिमी मेर पर पश्चिम से पूर्व की ओर 43 फीट लंबा व 16 फीट चौड़ा कुल 76.4 वर्गमीटर रास्ता के आदेश पारित किये है । इसके बावजूद प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष तथ्य छिपाकर नवीन प्रार्थना पत्र संख्या 123/2014 अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 पेश कर स्वंय की खातेदारी आराजियात खसरा नंबर 112 व 114 में आवागमन हेतु रास्ता नहीं होने का कथन कर आदेश दिनांक 16.2.2015 द्वारा आराजी खसरा नंबर 1519/77 रकबा 0.0499 है0 में से 14 फीट का रास्ते के आदेश प्राप्त किये है । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत काश्तकार अपनी जोत में पहुंच हेतु पूर्व से कोई आवागमन हेतु मार्ग नहीं होने की स्थिति में ही आवेदन पेश कर रास्ते के आदेश प्राप्त कर सकता है किन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी आराजियात खसरा नंबर 112 व 114 में पूर्व प्रकरण संख्या 9/2014 निर्णय दिनांक 23.7.2014 द्वारा 16 फीट चौड़ा रास्ता प्रदान किये जाने के बावजूद तथ्य छिपाकर नवीन रास्ते के आदेश प्राप्त किये है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

12. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 जा0दी0 खारिज होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति तहसीलदार, दूदू का प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण संख्या 123/2014 में पारित निर्णय दिनांक 16.2.2015 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में विधिवत् अपील पेश करे ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 12.03.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर